

उत्तराखण्ड में कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ : हरिद्वार जनपद का एक अध्ययन

मधुबाला जुवाँठा*

वर्तमान भारत में आरक्षण एक ऐसा ज्वलनशील मुद्दा बन गया है जिसे अत्यन्त सावधानी और चातुर्यपूर्वक संभालने की आवश्यकता है। बदलते राजनीतिक परिवेश ने इस सर्वाधिक विवादास्पद एवं संवेदनशील बना दिया है। पूरा देश आरक्षण समर्थक एवं आरक्षण विरोधी खेमों में बंट गया है। आरक्षण समर्थक आरक्षण नीति में किसी भी प्रकार का सुधार या परिवर्तन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आरक्षण विरोधी आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक संरक्षण देने की दलील पेश करते हैं और पिछड़े वर्गों के उन्नत लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने तथा समस्त वर्गों के गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ देने की दलील पेश करते हैं। आरक्षण के सम्बन्ध में एक तीसरा विचित्र खेमा उत्पन्न हो गया है जो आरक्षण का जमकर विरोध कर रहा है, परन्तु असका विरोध आरक्षण का विरोध करने के लिये नहीं बल्कि मोल-भाव का बाजार गरम कर कुछ और जातियों को आरक्षण की सूची में अंकित कराना है। आरक्षण समर्थन या आरक्षण विरोध में उतरने वाले लाभार्थी या प्रभावित क्रमशः पिछड़ी और अगड़ी जातियों के मुट्ठी भर उन्नत लोग हैं। वास्तविक रूप में जो गरीब हैं चाहे वे अगड़ी जाति के हों या पिछड़ी जाति के हों, उन्हें लाभ पहुंचाने का इरादा किसी का नहीं है, क्योंकि आरक्षित जाति के चन्द प्रभावशाली उन्नत लोग ही अब तक आरक्षण का लाभ उठाते रहे हैं और भविष्य में भी उठाते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाये और यह जानने का प्रयास किया जाये कि क्या आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाये और यह जानने का प्रयास किया जाये कि क्या आरक्षण व्यवस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रभावशाली तरीके से सफल रही है? क्या वर्तमान में भी यह प्रासंगिक है? प्रस्तुत शोध-पत्र में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशने का प्रयास किया गया है।

आरक्षण का तात्पर्य प्रतियोगिता के नियमों में कुछ शिथिलता रखते हुए अविकसित और विशेषाधिकारहीन समुदाय/वर्ग के लोगों को सफलता के उचित एवं बेहतर अवसर प्रदान करना है। किन्तु इसमें यह भावना अंतर्निहित है। कि इस अवस्था से किसी ज्यादा बेहतर एवं प्रतिभाशाली अभ्यर्थी को शैक्षिक संस्था या सेवा विशेष में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। आरक्षण के पक्षधरों का यह विचार है कि विभेदीकरण चक्र को रोकने के लिये आरक्षण ही एक मात्र उपाय है और आरक्षण की व्यवस्था का उदाहरण अनेक देशों में देखा जा सकता है। जैसे अमेरिका, नाइजिरिया, साइप्रस, पाकिस्तान (महिला अल्पसंख्यक), लेबनान, मलेशिया इत्यादि अनेक राष्ट्र हैं जहां पर विधायिका सभाओं में, सेवाओं में अथवा किन्ही अन्य रूपों में आरक्षण की व्यवस्था कायम है। अमेरिका के नीग्रो (अश्वेतों) के सम्बन्धों पर डी.सी. मैगवायर का मत है "आरक्षण ही एक ऐसा साधन है कि जो विभेदीकरण के ज्वार की दिशा को भाटे में परिवर्तित कर सकता है।"

भारत के सम्बन्ध में आरक्षण से अभिप्राय समाज के दलित, कमजोर एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये सामान्य चयन की न्यूनतम अर्हता में शिथिलता बरत कर सरकारी सेवाओं में

* हे०न०ब०ग० विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, बी०जी०आर० कैम्पस, पौड़ी।

भर्ती अथवा शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश का उपबन्ध करना है। इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों हेतु लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में भी सीटों को सुरक्षित (आरक्षण) रखना सम्मिलित है।

आरक्षण नीति को प्रभावी बनाने में भारतीय संविधान को एक अनोखा एवं संकल्पित दस्तावेज माना जाता है। संरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में यह अन्य संविधानों की तुलना में ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि भारतीय संविधान पिछड़े वर्गों के लिये प्रदत्त संरक्षात्मक उपायों में अमेरिका जैसे पारंपरिक सर्वहितवादी समाज से काफी आगे है। यह व्यवस्था विश्व में लाभ के दायरे तथा लाभान्वित वर्गों दोनों की दृष्टि से अनोखी मानी गई है। परन्तु यह एक कटु सत्य भी है कि संविधान निर्माताओं ने इस योजना का मजबूरीवश स्वीकार किया था। क्योंकि जातियों एवं वर्ग के आधार पर विभाजित भारतीय समाज में सामाजिक क्षमता और कुछ हद तक राजनीति संतुलन के कारण इसे स्वीकार करना पड़ा था।

संविधान सभा की इस मजबूरी एवं दुविधा को व्यक्त करते हुए सरदार पटेल ने संविधान सभा में यह विचार व्यक्त किए थे— “हमें किसी अन्य संविधान की जानकारी नहीं है, जिसमें इस तरह (संरक्षात्मक विभेदीकरण) की गारंटी दी गई हो और गुण-दोष के आधार पर हमारी यह सामान्य विचारधारा है कि इस प्रकार गारंटी एक खतरनाक अविष्कार साबित होगी”।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये जो नीति भारत में आरक्षण कहलाती है उसे ही अमेरिका में अश्वेत पिछड़ों के लिये “रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन” कहा जाता है, जिसके अन्तर्गत कुछ विशेष वर्गों को सरकार द्वारा रियायतें स्वीकार की जाती हैं, जिसके अन्तर्गत शिक्षा संस्थानों व सार्वजनिक सेवाओं में स्थानों का आरक्षण, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्तियां इत्यादि हैं। यह कोई विशेषाधिकार नहीं है अपितु शासकीय रियासत है जिसका मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित वर्गों को कोई विशेष लाभ देना नहीं है अपितु धीरे-धीरे उनके आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्तर को ऊंचा उठाना है, जिनसे इन समुदायों और वर्गों के जीवन स्तर में भी आधारभूत परिवर्तन आ सके।

शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में सीट विभिन्न मापदंड के आधार पर आरक्षित होती हैं विशिष्ट समूह के सदस्यों के लिये सभी संभावित पदों को एक अनुपात में रखते हुए कोटा पद्धति को स्थापित किया जाता है, जो निर्दिष्ट समुदाय के तहत नहीं आते हैं, वे केवल शेष पदों के लिये प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जबकि निर्दिष्ट समुदाय के सदस्य सभी सम्बन्धित पदों (आरक्षित और सार्वजनिक) के लिये प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अनुपात में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ी जातियां (मुख्यतः जन्मजात जाति के आधार पर) के लिये सीटें आरक्षित की जाती हैं, यह जाति जन्म के आधार पर निर्धारित होती है और कभी भी बदली नहीं जा सकती जबकि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन जाति स्थायी होती है।

केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध सीटों में से 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति (दलित) और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के छात्रों के लिये आरक्षित हैं (अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिये 7.5

प्रतिशत) ओबीसी के लिये अतिरिक्त 27 प्रतिशत आरक्षण को शामिल करके आरक्षण का यह प्रतिशत 49.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। 10 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सीटें 14 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित हैं, इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये केवल 50 प्रतिशत अंक ग्रहणीय हैं, यहां तक कि संसद और सभी चुनावों में यह अनुपात लागू होता है, जहां कुछ समुदायों के लोगों के लिये चुनाव क्षेत्र निश्चित किये गये हैं, तमिलानाडु जैसे कुछ राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये 18 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिये 1 प्रतिशत है, जो स्थानीय जनसांख्यिकी पर आधारित है, आंध्र प्रदेश में, शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिये 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिये 6 प्रतिशत और मुसलमानों के लिये 4 प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है। जाति-समर्थक आरक्षण के परोकारों के अनुसार प्रबंधन कोटा सबसे विवादास्पद कोटा है प्रमुख शिक्षाविदों द्वारा भी इसकी गंभीर आलोचना की गयी है क्योंकि जाति, नसल और धर्म पर ध्यान दिए बिना आर्थिक स्थिति के आधार पर यह कोटा है, जिससे जिसके पास पैसे हो वह अपने लिये सीट खरीद सकता है, इसमें निजी महाविद्यालय प्रबंधन की अपनी कसौटी के आधार पर तय किये गये विद्यार्थियों के लिये 15 प्रतिशत सीट आरक्षित कर सकते हैं कसौटी के महाविद्यालयों की अपनी प्रवेश परीक्षा या कानूनी तौर पर 102 के न्यूनतम प्रतिशत शामिल है।

महिला आरक्षण महिलाओं को ग्राम पंचायत (जिसका अर्थ है गांव की विधानसभा, जो कि स्थानीय ग्राम सरकार का एक रूप है) और नगर निगम चुनावों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हैं, संसद और विधानसभाओं तक इस आरक्षण का विस्तार करने की दीर्घावधि योजना है, इसके अतिरिक्त, भारत में महिलाओं को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण या अधिमान्य व्यवहार मिलता है, कुछ पुरुषों का मानना है कि भारत में प्रगतिशील राजनीतिक मत महिलाओं के लिये अधिमान्य व्यवहार प्रदान करने का जोरदार समर्थन करता है ताकि सभी नागरिकों के लिये समान अवसर का निर्माण हो सके।

महिला आरक्षण विधेयक 9 मार्च 2010 को 186 सदस्यों से राज्य सभा में पारित हुआ, इसके खिलाफ सिर्फ एक वोट पड़ा, अब यह लोक सभा में जायेगा और अगर यह वहां पारित हो गया तो इसे लागू किया जायेगा।

जहां तक भारत में आरक्षण का सवाल है, सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये भारत सरकार ने अब भारतीय कानून के जरिये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाईयों और धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने की कोटा प्रणाली प्रदान की है भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिये भी आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया है भारत की केन्द्र सरकार ने उच्च शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है और विभिन्न राज्य आरक्षणों में वृद्धि के लिये कानून बना सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने 68 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अगड़ी

जातियों के लिये 14 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। आम आबादी में उनकी संख्या के अनुपात आधार पर उनके बहुत ही कम प्रतिनिधित्व को देखते हुए शैक्षणिक परिसरों और कार्यस्थलों में सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिये कुछ समूहों के लिये प्रवेश मानदंड को नीचे किया गया है। कम प्रतिनिधित्व समूहों की पहचान के लिये सबसे पुराना मापदंड जाति है, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, हालांकि कम-प्रतिनिधित्व के अन्य अभिज्ञेय मानदंड भी हैं, जैसे कि लिंग (महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है) अधिवास के राज्य (उत्तर पूर्व राज्य, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कम है) ग्रामीण जनता आदि।

यहां उत्तराखण्ड में आरक्षण व्यवस्था का प्रश्न है, 1 नवम्बर 2000 को उत्तरांचल (उत्तराखण्ड) राज्य अस्तित्व में आया जो 13 जिलों को मिलाकर बनाया गया है जोकि निम्नवत् हैं— अल्मोड़ा, उत्तराकाशी, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, चमौली, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या 84,89,349 है। उत्तराखण्ड जनसंख्या की दृष्टि से 20वें स्थान पर है। उत्तराखण्ड में साक्षरता प्रतिशत 71.6 प्रतिशत है और साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखण्ड 14वें स्थान पर है। उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए 4 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण और महिलाओं को 20 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 2 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत स्ववंशता सैनानियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है।

29 नवम्बर 2005 को राज्य विधान मण्डल ने अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल 12 जातियों कहार, कश्यप, केवट, मल्लाहनिषाद, कुम्हार, प्रजापति, झींवर, बिंद, मदराजभर, धीमर, तुरहा, गौड, माझी और महुआ को अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा की।

किसी भी अनुसंधान को व्यवस्थित, तार्किक एवं त्रुटि रहित बनाने के लिये आवश्यक है कि निश्चित पद्धति का प्रयोग किया जाये। अतः शोध प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत अनुसंधान योजना बना ली जाती है। और समस्त अध्ययन उसी के अनुरूप किया जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से उद्देश्य, पद्धति, जनसंख्या, न्यायदर्श, शोध सामग्री का एकत्रीकरण एवं उसके विश्लेषण की विधि आदि का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत शोध-पत्र "उत्तराखण्ड में कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ" हरिद्वार जनपद का एक अध्ययन" में आरक्षण व्यवस्था की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध-पत्र के लिये आनुभाविक शोध की सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया है सर्वेक्षण अनुसंधान का प्रयोग मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञानों की किसी स्थिति, घटना या वैचारिक चिन्तन आदि से सम्बन्धित समस्या के अध्ययन के लिये किया जाता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र के उद्देश्यों के अन्तर्गत आरक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना एवं कमजोर वर्गों में आरक्षण के लाभ का पता लगाना है।

अध्ययन क्षेत्र के चयन के लिये सर्वप्रथम हरिद्वार जनपद के सभी 6 विकासखण्डों से प्रतिदर्शों के चयन के लिये 2-2 गांवों का चयन किया गया है। गांव के चयन में अनेक बातों का ध्यान रखा गया जिनमें पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति,

जिला मुख्यालय से दूरी, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित है। इन सभी को मिलाकर चयनित प्रतिदर्श से आरक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त करने का प्रयास किया गया ताकि एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सके। प्रस्तुत शोध-पत्र हरिद्वार जनपद के 125 उत्तरदाताओं से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। जिनसे साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की गईं।

सारणी 1 : आरक्षण का लाभ प्राप्ति के सम्बन्ध में विचार

क्र.सं.	क्या आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप से मिला है?	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	75	60
2	नहीं	50	40
	योग	125	100

उत्तरदाताओं से जब यह प्रश्न किया गया कि आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिला है जबकि 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप से मिला है। स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं के एक बड़े वर्ग की राय में आरक्षण व्यवस्था प्रभावशाली रही है।

सारणी 2 : आरक्षण का लाभ समान रूप से न मिलने के कारण

क्र.सं.	कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षा	55	44
2	आरक्षण के सम्बन्ध में अज्ञानता	35	28
3	भ्रष्टाचार एवं रिश्तखोरी	20	16
4	उपरोक्त सभी	15	12
	योग	125	100

जब उत्तरदाताओं से आरक्षण वर्ग के सभी सदस्यों को आरक्षण का लाभ समान रूप से न मिलने का कारण जानना चाहा तो इस संदर्भ में 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसका कारण अशिक्षा को माना, 28 प्रतिशत ने इसका कारण आरक्षण के सम्बन्ध में अज्ञानता को माना है, 16 प्रतिशत उत्तरदाता भ्रष्टाचार एवं रिश्तखोरी को इसका कारण मानते हैं जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो उपर्युक्त सभी अर्थात् अशिक्षा, अज्ञानता, भ्रष्टाचार एवं रिश्तखोरी सभी को इसका कारण मानते हैं।

सारणी 3 : सामाजिक एवं आर्थिक विकास में आरक्षण की भूमिका

क्र.सं.	क्या आरक्षण व्यवस्था सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार कर पायी है?	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	85	68
2	नहीं	40	32
	योग	125	100

आरक्षित वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में आरक्षण की भूमिका के सम्बन्ध में जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आरक्षण व्यवस्था आरक्षित वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में समुचित सुधार कर पायी हैं? तो इस सन्दर्भ में केवल 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया जबकि 68 प्रतिशत उत्तरदाता आर्थिक-सामाजिक विकास में आरक्षण की भूमिका को स्वीकार करते हैं। स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं की राय में आरक्षण व्यवस्था अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में भी सफल रही है।

सारणी 4 : सामाजिक एवं आर्थिक समानता में आरक्षण व्यवस्था की भूमिका

क्र.सं.	कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	95	76
2	नहीं	30	24
	योग	125	100

जब उत्तरदाताओं से यह जानना चाहा कि क्या आरक्षण व्यवस्था समाज में सामाजिक एवं आर्थिक समानता उत्पन्न कर पायी? तो इस सन्दर्भ में 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि आरक्षण व्यवस्था इस उद्देश्य में सफल रही है। जबकि 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि आरक्षण व्यवस्था समाज में समानता लाने में असफल रही है। इससे स्पष्ट है कि आरक्षण व्यवस्था का समाज में समानता लाने का जो मुख्य उद्देश्य था, उत्तरदाताओं की दृष्टि में अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में वह कुछ हद तक सफल रही है।

सारणी 5 : पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में राय

क्र.सं.	क्या पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए?	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	95	76
2	नहीं	30	24
	योग	125	100

पदोन्नति की प्रक्रिया में भी आरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में जब उत्तरदाताओं से यह जानना चाहा कि क्या पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिये। इस संदर्भ में अधिकांश उत्तरदाताओं अर्थात् 76 प्रतिशत ने माना कि हाँ लाभ दिया जाना चाहिए, जबकि 24 प्रतिशत उत्तरदाता इस संदर्भ नकारात्मक जवाब देते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि जहाँ अधिकांश उत्तरदाता आरक्षण व्यवस्था की सफलता को स्वीकार करते हैं वहीं वे पदोन्नति में भी आरक्षण व्यवस्था को आवश्यक मानते हैं।

सारणी 6 : आरक्षित वर्ग के उत्थान में आरक्षण के विकल्प का विवरण

क्र.सं.	क्या आरक्षित वर्ग के उत्थान के लिये आरक्षण एक मात्र विकल्प है?	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	95	76
2	नहीं	30	24
	योग	125	100

आरक्षित वर्ग के उत्थान के लिये क्या आरक्षण एकमात्र विकल्प हैं? इस संदर्भ में जब उत्तरदाताओं के विचार जानने का प्रयास किया गया तो उनमें से 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि आरक्षण एकमात्र विकल्प हैं जबकि 24 प्रतिशत ने माना की आरक्षण एकमात्र विकल्प नहीं हैं अर्थात इसके अन्य विकल्प भी हो सकते हैं।

सारणी 7 : आरक्षण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता के संदर्भ में विचार

क्र.सं.	क्या आरक्षण के विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	85	68
2	नहीं	40	32
	योग	125	100

आरक्षण व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में जब उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या आरक्षण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता हैं? तो इस सन्दर्भ में 68 प्रतिशत उत्तरदाता आरक्षण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं। जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि इसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

सारणी 8 : आरक्षण व्यवस्था की प्रासंगिकता

क्र.सं.	क्या आरक्षण व्यवस्था प्रासंगिक है ?	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	90	72
2	नहीं	35	28
	योग	125	100

जब उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया कि वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था प्रासंगिक हैं? तो इस सन्दर्भ में 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया जबकि 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि वर्तमान समय में आरक्षण प्रासंगिक नहीं रह गयी हैं। इससे स्पष्ट हैं कि अधिकांश उत्तरदाताओं की राय में आरक्षण व्यवस्था अपने उद्देश्यों में सफल रही हैं और वर्तमान में भी यह प्रासंगिक हैं।

आरक्षण का उद्देश्य आरक्षित वर्ग के सभी व्यक्तियों के स्तर को ऊंचा उठाना था। इस सम्बन्ध में 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि आरक्षण का लाभ सभी व्यक्तियों को समान रूप से नहीं मिला है। आरक्षण की दृष्टि से यह दृष्टिकोण चिंतनीय है अर्थात आरक्षित वर्ग का एक विशेष वर्ग हो आरक्षण का लाभ उठा रहा है इसकी जड़ में अशिक्षा, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी, आरक्षण के सम्बन्ध में अज्ञानता प्रमुख समस्या है। उत्तरदाताओं के 65 प्रतिशत का मानना है कि आरक्षण व्यवस्था आरक्षित वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार कर नहीं पायी है। इसका कारण अशिक्षा, आरक्षण का ज्ञान न होना, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का होना है। 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि आरक्षण व्यवस्था समाज में सामाजिक समानता लाने में असफल रही है अर्थात आरक्षण व्यवस्था अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में भी असफल रही है जो कि आरक्षण की दृष्टि से शोचनीय स्थिति हैं तथा आरक्षण व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती है। आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के प्रति सामान्य वर्ग के व्यवहार के सम्बन्ध में 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे सामान्य

व्यवहार करते हैं, 45 प्रतिशत का मानना था कि आरक्षण व्यवस्था आंशिक रूप से सफल रही है और सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन की ओर संकेत करती है।

प्राप्त तथ्यों से यह भी पता चलता है कि अभी भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आरक्षण के लाभों से वंचित है जिसका प्रमुख कारण लोगों में अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है। यद्यपि अधिकांश उत्तरदाता यह मानते हैं कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में आरक्षण के कारण निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आया है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए पात्र जनसंख्या एक लम्बी प्रक्रिया को बहुत बड़ी रुकावट मानती है जो एक ध्यान योग्य विषय है।

संदर्भ सूची

1. प्रसाद अनरुद्ध, "रिजर्वेशन पॉलिसी एण्ड प्रैक्टिस इन इंडिया", नई दिल्ली 1990, पृ0 38
2. डॉ0 शशिप्रभा (2010), "आरक्षण नीति प्रासंगिकता एवं प्रभाव", बी0आर0 पब्लिकेशन्स कारपोरेशन 425, नीमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार-4, दिल्ली-1100521
3. संसदीय बहस भाग-5, 1947, पृ0 270
4. ग्लॉटर मोरे, "कम्पीटिंग इक्वलटीज", 1989, पृ0 7
5. भारती, के0एस0, "फाउन्डेशन ऑफ अम्बेडकर थाट", नई दिल्ली 1990 पृ0 5